कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/हिनि/28203/2018–19 दिनांक : 14.11.2018

समस्त उप–निदेशक(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय)
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त विशिष्ट संस्थांये
समस्त प्राचार्य डाईट

विषय : 2018–19 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा–2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 एवं पत्रांक दिनांक 15.06.2018 द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान 2018–19 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिको के वेतन विपत्र माह दिसम्बर 2018 दैय जनवरी 2019, पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है। वेतन से कटौती बाबत जिला शिक्षा अधिकारी कि कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है तथा विस्तृत निर्देश DD/DEO/CDEO माध्यमिक/प्रारंभिक को निदेशालय के पत्र दिनांक 24.10.2018 द्वारा जरिये मेल प्रेषित किये जा चुके है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिको के वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती करें।

राज्य सरकार द्वार अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें

(1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) रूपये 500/– प्रतिवर्ष
(2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा.कर्मचारी सहित रूपये 250/– प्रतिवर्ष

हितकारी निधी कल्याणकारी योजनाएं

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत प्राप्त अंशदान राशि मे से सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर 1,50,000/– रूपये एवं दुर्घटना में अशक्त होने के कारण प्रमाण–पत्र के आधार पर 50,000/– रूपये कि आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 100 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर 5000/– रूपये से 10,000/– रूपये तक की सहायता दैय है।

शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रितों में से किसी सदस्य के असाध्य रोग से पीडित होने पर 5000/– रूपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

शिक्षा विभागीय कार्मिकों को बालिका शिक्षा हेतु 50,000/– रूपये तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

अतः वर्ष 2018–19 का हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान माह दिसम्बर,2018 दैय वेतन जनवरी, 2019 से निर्देशानुसार वेतन सें उक्त निर्धारित दर से प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिये आपके अधिनस्थ कार्यालयों/ विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि मय आपके निर्देशों के भिजवावें ताकि इसके सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात् निर्देशानुसार ECS Cashbook एवं कटौती शिड्युल कि प्रति, अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवाया जाना है। कटौती शिड्युल में कार्मिक के I.D. संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें क्योंकि यही I.D. कार्मिक का खाता संख्या होगी, तदनानुसार खातों में प्रविष्टियां की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, कार्यालय हाजा
2. सम्पादक शिविरा पत्रिका, बीकानेर को प्रकाशनार्थ
3. संयुक्त निदेशक कम्प्युटर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबात।

उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान।
बीकानेर